लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3881
दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"गुजरात हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना"

3881. श्री देवुसिंह चौहानः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पहलों का गुजरात में स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसाय मालिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) एवं (ख): वस्त्र मंत्रालय, गुजरात सहित भारत के हस्तशिल्प एवं वस्त्र उद्योगों के संवर्धन के लिए अनेकों योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए नामशः दो योजनाएं राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र क्षेत्र के लिए 8 योजनाएं परिचालन में हैं। योजनाओँ का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

- वस्त्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाः यह योजना भारत में मानव द्वारा निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान एवं एमएमएफ वस्त्र और तकनीकि वस्त्रों के उत्पादन के संवर्धन पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर निवेश के लिए प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के लिए महत्वपूर्ण अवसरों का सृजन करना है।
- पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्र) पार्कः इस पहल का उद्देश्य देश में एकीकृत वस्त्र पार्क स्थापित करके वस्त्र उद्योग के लिए वैश्विक स्तरीय संरचना की स्थापना करना है।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): यह वस्त्र इकाईयों के लिए संरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है ताकि वे आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्कों में स्वयं को स्थापित करने में सक्षम हो पाएं।
- एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस): आईपीडीएस प्रक्रियाशील क्लस्टरों में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) एवं अन्य संरचना के विकास को समर्थन देते हुए वस्त्र उद्योग के पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में सहायता देने पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम): इस पहल की शुरूआत भारत में तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों के संवर्धन एवं विकास के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान, विपणन विकास, निर्यात और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना है।
- पावर लूम क्लस्टर विकास योजनाः इस योजना का उद्देश्य पावरलूम क्लस्टरों की संरचना में सुधार करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजनाः यह योजना विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वस्त्र उद्योग के लिए क्षमता विकास तथा कुशल कार्यबल सृजन पर केंद्रित है।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस): इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ग): इन पहलों के माध्यम से, गुजरात में विशेष रूप से स्थानीय कारीगर और लघु व्यवसाय के मालिक लाभान्वित हुए हैं। उनके कौशल में वृद्धि हुई है, आय बढ़ोत्तरी हुई है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों तक पहुंच में सुधार हुआ है, संरचना में उन्नति हुई है तथा अनुसंधान और विकास क्षमता आधुनिक हुए हैं।

****